05

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

दाखिल खारिज रिवीजन वाद संख्या – 19/2023

सुधीर चन्द्र मोदी बनाम् अंचल अधिकारी, पतरातू

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
01/09/2023	यह वाद अपीलार्थी सुधीर चन्द्र मोदी, पिता–स्व० लोकनाथ मोदी, ग्राम–तेलियातु, पो०–बरकाकाना, थाना–पतरातू, जिला–रामगढ़ द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ का न्यायालय में दायर दाखिल खारिज (ऑनलाईन) अपील वाद संख्या–73/2022–23 सुधीर चन्द्र मोदी बनाम् अंचल अधिकारी, पतरातू में दिनांक–01.12.2022 को पारित आदेश के विरूद्ध U/S – 16 of Bihar Tenants Holdings (Maintenance of Records) Act-1973 के तहत् प्रारम्भ किया गया। वाद को अंगीकृत करते हुए निम्न न्यायालय का अभिलेख की माँग की गई। प्रश्नगत भूमि मौजा–बरकाकाना थाना सं०–77 थाना–पतरातू के खाता नं०–02 प्लॉट नं०–649 रकवा–0.12 ए०, खाता नं०–16 प्लॉट नं०–676 रकवा–0.12 ए०, खाता नं०–40 प्लॉट नं०–685 रकवा–1.70 ए०, खाता नं०–49 प्लॉट नं०–677 रकवा–0.10 ए०, खाता नं०–53 प्लॉट नं०–671 रकवा–0.45 ए०, खाता नं०–55 प्लॉट नं०–672 रकवा–0.23 ए०, खाता नं०–71 प्लॉट नं०–684 रकवा–0.24 ए०, खाता नं०–77 प्लॉट नं०–673 रकवा–1.66 ए० एवं प्लॉट नं०–674 रकवा–0.38 ए० कुल रकवा–5.00 ए० भूमि से संबंधित है। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं, सरकारी अधिवक्ता को सुना, समर्पित आवेदन/कारण पृच्छा, निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुनने, उनके द्वारा समर्पित आवेदन, कारण पृच्छा, कागजातों के अवलोकन करने एवं अंचल अधिकारी, पतरातू के पत्रांक–1707, दिनांक–11.07.2023 से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि मौजा–बरकाकाना थाना सं०–77 थाना–पतरातू के खाता नं०–02 प्लॉट नं०–649 रकवा–0.12 ए० भूमि बकास्त खाते की भूमि है, खाता नं०–16 प्लॉट नं०–676 रकवा–0.12 ए० भूमि बोधा मुण्डा के नाम से खतियान में रैयती दर्ज है, जो आदिवासी खाते की भूमि है, खाता नं०–40 प्लॉट नं०–685 रकवा–1.70 ए० भूमि बकास्त खाते की भूमि है, खाता नं०–49 प्लॉट नं०–677 रकवा–0.10 ए० भूमि दुलार मुण्डा के नाम से खतियान में रैयती दर्ज है, जो आदिवासी खाते की भूमि है, खाता नं०–53 प्लॉट नं०–671 रकवा–0.45 ए० भूमि मदंगशाह के नाम से खतियान में रैयती दर्ज है, खाता नं०–55 प्लॉट नं०–672 रकवा–	

0.23 ए० भूमि खतियान फटा है, खाता नं०–71 प्लॉट नं०–684 रकवा– 0.24 ए० भूमि रूसना पाहन के नाम से खतियान में रैयती दर्ज है, जो आदिवासी खाते की भूमि है, खाता नं०–77 प्लॉट नं०–673 रकवा–1.66 ए० एवं प्लॉट नं०–674 रकवा–0.38 ए० भूमि गैरमजरूआ खास खाते की भूमि है। किस्त परती गढ़ा एवं मोटी आर खतियान में दर्ज है, कुल रकवा–5.00 ए० भूमि है। रिवीजनकर्ता के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा कहा गया है कि भारत सरकार को रेलवे स्टेशन यार्ड बरकाकाना विस्तार हेतु भूमि की आवश्यकता होने पर मौजा–बरकाकाना में रेलवे स्टेशन निर्माण के लिए भू–अर्जन विभाग हजारीबाग से मौजा–बरकाकाना एवं अन्य मौजा की भूमि अधिगृहित की गई, उक्त अधिगृहित में सामान्य जाति/अनुसूचित जन जाति/अनुसूचित जाति/पिछडी जाति के रैयतों की भूमि के साथ–साथ गैरमजरूआ खास व आम भूमि को भी अधिगृहित किया गया, एवं अधिग्रहण होने के पश्चात् रैयतों को उनकी उक्त भूमि का मुआवजा भी पंचाट के माध्यम से भुगतान किया गया तत्पश्चात उक्त भूमि भारत सरकार के अधीन हो गई। उन्होनें आगे कहा कि रेवले विभाग द्वारा रेलवे ट्रैक व बरकाकाना में रेलवे स्टेशन यार्ड के निर्माण के पश्चात् जो भूमि अनउपयोगी हो गई उक्त भूमि को भारत सरकार के द्वारा विक्रय कर दिया गया। दिनांक–13.03.1939 को परिषद में भारत के राज्य सचिव (Secretary of State for India in Council) द्वारा उक्त अधिग्रिहित भूमि के अनउपयोगी भूमि 126.49 ए० को निबंधित विक्रय पत्र संख्या–911, दिनांक–13.03.1939 के माध्यम से बाबु नारायण मिश्र पिता– बाबु किशुन दयाल मिश्र से 5875 /– रू० प्राप्त कर विक्रय किये, जिसमें राज्य सरकार की तरफ से उपायुक्त, हजारीबाग एवं भूमि अर्जन पदाधिकारी, हजारीबाग साक्ष्य के रूप में अपने हस्ताक्षर बनाये, एवं विक्रेता को दखल–कब्जा सुपुर्द किये। बाबु नारायण मिश्र की पुत्री श्रीमति तारा देवी द्वारा मौजा–बरकाकाना के भिन्न–भिन्न खाता के भिन्न–भिन्न प्लॉटों के 5.00 ए० भूमि लोकनाथ मोदी को निबंधित विक्रय पत्र दिनांक–27.11.1972 के माध्यम से विक्रय कर दिये, जिसपर लोकनाथ मोदी के नाम से दाखिल खारिज होकर जमाबंदी रजि–II के भोल्युम नं०–1 पेज नं०–171 में कायम होकर निर्गत हुई जो अद्यतन ऑनलाईन भी 2022–23 तक निर्गत है। लोकनाथ मोदी के स्वर्गवास के पश्चात उनके पांच पुत्र सुधीर चन्द्र मोदी, उमेश प्रसाद मोदी, दयानन्द मोदी, ओम प्रकाश मोदी एवं नगेन्द्र प्रसाद मोदी सम्पूर्ण भूमि पर दखलकार हुए, एवं दखलकार रहते हुए, 20.07.2018 को पांचो भाई ने लिखित पंचनामा बंटवारानामा विलेख के माध्यम से भूमि का बंटवारा कर लिया, जिसके तहत् बरकाकाना स्थित भूमि जिसमें खाता नं०–49 प्लॉट नं०–677 का रकवा–10 डी० एवं खाता नं०–77 प्लॉट नं०–673 रकवा–1.66 ए० भूमि भी शामिल है कुल–5.00 ए० भूमि अपीलार्थी को हिस्से मघ्ये में प्राप्त हुई, जिसपर अपीलार्थी शांतिपूर्ण दखलकार हुए। जब अंचल अधिकारी, पतरातू को उक्त भूमि की उतराधिकारी दाखिल खारिज करने हेतु आवेदन दिया गया तो उन्होने वाद संख्या–184/2022–23 निबंधित कर यह कहते हुए कि खाता सं०–49 आदिवासी खाता एवं खाता सं०–77 को गैरमजरूआ खास खाता मानते हुए दाखिल खारिज आवेदन निरस्त कर दिया गया। जब उक्त आदेश के विरूद्ध में न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ के न्यायालय में

ऑनलाईन दाखिल खारिज अपील संख्या–73/2022–23 दायर किया गया तो उन्होनें भी अंचल अधिकारी, पतरातू द्वारा पारित आदेश को हस्तक्षेप नहीं करते हुए अपील आवेदन अस्वीकृत किया गया। उन्होनें आगे कहा है कि जब भूमि भारत सरकार के उपक्रम रेलवे के ट्रैक व स्टैशन यार्ड निर्माण के लिए 1925–26 में अधिग्रिहित कर ली गई तो उक्त भूमि न तो आदिवासी खाते की रही और न ही गैरमजरूआ खास खाते की भूमि रही। उन्होनें रिभीजनकर्ता के पुनर्निरीक्षण आवेदन को स्वीकार करते हुए भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–73/22–23 में दिनांक–01.12.2022 को पारित आदेश को खारिज करते हुए रिभीजनकर्ता के नाम से उतराधिकारी दाखिल खारिज करने का निर्देश अंचल अधिकारी, पतरातू को देने की कृपा की जाय।

सरकारी अधिवक्ता ने बहस के दौरान कहा कि प्रश्नगत भूमि रेलवे हेतु अधिगृहित भूमि है, जिसका De-Notification किये बिना हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है।

उपरोक्त तथ्यों के विवेचन एवं सरकारी अधिवक्ता के मंतव्य के आलोक में स्पष्ट है कि मौजा–बरकाकाना थाना सं०–77 थाना–पतरातू के खाता नं०–02 प्लॉट नं०–649 रकवा–0.12 ए०, खाता नं०–16 प्लॉट नं०–676 रकवा–0.12 ए०, खाता नं०–40 प्लॉट नं०–685 रकवा–1.70 ए०, खाता नं०–49 प्लॉट नं०–677 रकवा–0.10 ए०, खाता नं०–53 प्लॉट नं०–671 रकवा–0.45 ए०, खाता नं०–55 प्लॉट नं०–672 रकवा–0.23 ए०, खाता नं०–71 प्लॉट नं०–684 रकवा–0.24 ए०, खाता नं०–77 प्लॉट नं०–673 रकवा–1.66 ए० एवं प्लॉट नं०–674 रकवा–0.38 ए० कुल रकवा–5.00 ए० भूमि है। जो रेलवे द्वारा अधिगृहित भूमि है। रिवीजनकर्ता का कहना है कि उक्त भूमि निबंधित केवाला द्वारा प्राप्त है। लेकिन भू–अर्जन अधिनियम 1894 के अनुसार, **"When any land acquired under this Act remains unutilised for a period of five years from the date of taking over the possession, the same shall be returned to the original owner or owners or their legal heirs, as the case may be, or to the Land Bank of the appropriate Government by reversion in the manner as may be prescribed by the appropriate Government."** इस प्रकार अधिगृहित भूमि का बिना De-Notification किये हस्तांतरण करना उचित प्रतीत नहीं होता है। साथ ही अंचल अधिकारी, पतरातू/भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि खाता सं०–49 आदिवासी खाता एवं खाता सं०–77 गैरमजरूआ खाते की भूमि है। इस प्रकार मामला स्वत्व का प्रतीत होता है। जब तक संबंधित पक्ष सक्षम न्यायालय से अपना स्वत्व निर्धारण नहीं करा लेते तब तक किसी प्रकार का आदेश पारित करना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त परिस्थिति में भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा दाखिल खारिज (ऑनलाईन) अपील वाद संख्या–73/2022–23 सुधीर चन्द्र मोदी बनाम् अंचल अधिकारी, पतरातू में दिनांक–01.12.2022 को पारित आदेश को यथावत् रखते हुए रिवीजन आवेदन अस्वीकृत किया

जाता है। निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं आदेश की प्रति भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ को वापस करें।

उपरोक्त आदेश के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

Chandan 01/09/23
उपायुक्त,
रामगढ़।

Chandan 01/09/23
उपायुक्त,
रामगढ़।

Digitally signed by Chandan Kumar
Date: 2023.12.06 15:37:27 +05:30
Location: 192.168.0.10